प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रितिंकर दिवाकर

दाण्डिक अपील क्रमांक: 185/2009

<u>अपीलार्थी</u>: आसिफ अहमद उर्फ पप्पू

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक: 210/2009

<u>अपीलार्थी</u>: मो. शमीम एवं अन्य

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक: 215/2009

<u>अपीलार्थी</u>: धर्मेंद्र गुप्ता

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक: 317/2009

<u>अपीलार्थी</u>: संजय कुमार

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय उद्घोषणा हेतु दिनांक 12-07-2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रितिंकर दिवाकर

दाण्डिक अपील क्रमांक: 185/2009

<u>अपीलार्थी</u>: आसिफ अहमद उर्फ पप्पू

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक: 210/2009

<u>अपीलार्थी</u>: मो. शमीम एवं अन्य

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक: 215/2009

<u>अपीलार्थी</u>: धर्मेंद्र गुप्ता

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक: 317/2009

<u>अपीलार्थी</u>: संजय कुमार

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: छत्तीसगढ़ राज्य

श्री सुरेंद्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री नीरज मेहता और श्री अरविंद सिंह, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता। श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (1) के अंतर्गत दांडिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(12.07.2011)

1. चूंकि उपरोक्त सभी उल्लिखित अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक न्यायालय) सूरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 229/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.02.2009 से प्रोद्भूत हुई हैं, जिसमें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में 10 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा; अतः इन अपीलों का निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जाता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 30.01.2001 को लगभग सायंकाल 5.40 बजे, राज रूप जैन (अ.सा.-11) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार, उस दिन लगभग शाम 5.10 बजे जब वह अपने स्कूटर से विश्रामपुर से अंबिकापुर लौट रहे थे, उनके पास 45,365/- रुपये स्कूटर की पिछली डिक्की में और 70,000/- रुपये सामने की डिक्की में रखे थे। जैसे ही वह कुमदा मोड़ के पास पहुंचे, दो स्कूटर व्यक्तियों ने, जिनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी, उनसे आगे निकलकर वाहन रोकने को कहा। यह अभिकथन है कि संकट को भांपते हुए शिकायतकर्ता ने बचने के लिए वाहन की गति तेज कर दी, परंतु वाहन पर से नियंत्रण खोने के कारण वह गिर पड़े। आगे यह अभिकथन है कि जब उन्होंने सहायता के लिए शोर मचाया, तो समीप के क्षेत्र से चार व्यक्ति वहां आए, जो बाद में ज्ञात हुआ कि उन्हीं व्यक्तियों के सह-अपराधी थे जिन्होंने शिकायतकर्ता को रोककर वाहन खड़ा करने को कहा था। इसके पश्चात, यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को वाहन छोड़कर चले जाने को कहा। अभियुक्तगण के तलवार, चाकू, लाठी और पिस्तौल से सज्जित होने का अभिकथन है। तत्पश्चात, सभी अभियुक्त शिकायतकर्ता के वाहन सहित दो स्कूटर पर सवार होकर वहां से भाग गए। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तगण का विवरण देते हुए बताया कि वे 25-26 वर्ष की आयु के युवक थे, जिनमें से एक गेहुंए वर्ण का था और एक सांवले वर्ण का था जिसने जर्किन पहनी हुई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि अवसर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मिलने पर वह अपराधियों को पहचान सकता है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, थाना जयनगर में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 395 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह आगे कथित है कि अभियुक्त संजय, धर्मेंद्र, आसिफ अहमद और मो. शमीम को 10.02.2001 को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभियुक्त शिलाभ राज को 19.02.2001 को गिरफ्तार किया गया। मेमोरेंडम (मेमोरेंडम) प्रदर्श पी-15 के आधार पर, अभियुक्त संजय से 7,600 रुपये नकद, वाहन क्रमांक एमपी 27 डी/8316, चाकू, पैंट और कमीज की जब्ती जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-20 के माध्यम से की गई। मेमोरेंडम प्रदर्श पी-14 के आधार पर, अभियुक्त धर्मेंद्र से लाठी, पैंट और कमीज की जब्ती प्रदर्श पी-21 के माध्यम से की गई और उससे 3,000 रुपये नकद जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-22 के माध्यम से जब्त किए गए। मेमोरेंडम प्रदर्श पी-16 के आधार पर, अभियुक्त आसिफ अहमद से 5,700 रुपये नकद, रिवॉल्वर, पैंट, कमीज और मफलर की जब्ती जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 के माध्यम से की गई। मेमोरेंडम प्रदर्श पी-17 के आधार पर, अभियुक्त मो. शमीम से टी वी , 4,000 रुपये नकद और एक लाठी की जब्ती जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-24, पी-25 और पी-26 के माध्यम से की गई। मेमोरेंडम प्रदर्श पी-19 के आधार पर, अभियुक्त शिलाभ राज से 4,200 रुपये नकद, अटैची, पैंट, कमीज, शॉल और स्वेटर की जब्ती जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-29 के माध्यम से की गई। आर.बी. देवांगन (अ. सा.-13) द्वारा 05.04.2001 को पहचान परेड आयोजित की गई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, पुलिस द्वारा 22.04.2001 को धारा 395, 397 भारतीय दंड संहिता और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि अभियुक्तगण में से एक सरफराज अल्पवयस्क था, उसका प्रकरण किशोर न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में 21 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में एक साक्षी लक्ष्मी नारायण गिरी (ब. सा.-1) का भी परीक्षण कराया है।

4. पक्षों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण / अपीलार्थीगण को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है, किंतु उन्हें इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह का तर्क है कि शिकायतकर्ता राज रूप जैन (अ. सा.-11) के कथन के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने चेहरे नहीं ढके थे, जबकि लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) के अनुसार अभियुक्तगण ने अपने चेहरे ढके हुए थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यद्यपि पहचान परेड आयोजित होने से पूर्व शिकायतकर्ता के पास अभियुक्तगण को देखने का पर्याप्त अवसर था। उनका निवेदन है कि प्रदर्श पी-11 के माध्यम से पहचान परेड 05.04.2001 को आयोजित की गई थी, जो गिरफ्तारी के 46 दिन बाद हुई और इस बीच अभियोजन द्वारा चार न्यायिक रिमांड लिए गए थे। उनके अनुसार, अभियुक्त संजय, धर्मेंद्र और मोहम्मद शमीम को 10.02.2001 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभियुक्त शिलाभ राज को 19.02.2001 को गिरफ्तार किया गया था। उनका तर्क है कि अभियुक्त संजय, धर्मेंद्र और मोहम्मद शमीम के संबंध में प्रथम न्यायिक रिमांड 11.02.2001 को लिया गया था, जबकि अभियुक्त शिलाभ राज के संबंध में प्रथम न्यायिक रिमांड 19.02.2001 को लिया गया और तत्पश्चात 23.02.2001, 09.03.2001 और 23.03.2001 को भी अभियुक्तगण के न्यायिक रिमांड लिए गए थे। यह अभिवाक किया गया है कि न्यायालय की किसी भी आदेशिका में यह दर्ज नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों को न्यायालय में 'बापर्दा' पेश किया गया था। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **हसीब बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 283)** और **ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1831** में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आगे यह अभिवाक किया गया है कि प्रदर्श पी-11 के माध्यम से हुई पहचान परेड के समय पुलिस अधिकारी सी. एस. मिश्रा उपस्थित थे, जो आर.बी. देवांगन (अ. सा.-13) के साक्ष्य के कंडिका-4 से स्पष्ट है। उन्होंने आगे इस न्यायालय का ध्यान रामाशंकर सिंह (अ. सा.-16) के साक्ष्य के कंडिका क्रमांक 3 और शिकायतकर्ता (अ. सा.-11) के साक्ष्य के कंडिका क्रमांक 19 की ओर आकर्षित किया। अंत में यह अभिवाक किया गया है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

397 के तहत अपराध गठित नहीं होता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अपराध कारित करते समय अपीलार्थीगण में से किसने घातक हथियार का प्रयोग किया था। विद्वान अधिवक्ता ने **अशफाक बनाम राज्य (ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1253)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। उनका आगे यह निवेदन है कि 'लाठी' घातक हथियार नहीं है और इस तर्क के समर्थन में उन्होंने **धनई महतो एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 3602)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी, यथा लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) ने वास्तव में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में साक्ष्य दिया है, इसलिए उनके कथन अभियोजन पर बाध्यकारी हो जाते हैं। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने **जावेद मसूद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 979)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा है। उनका आगे यह निवेदन है कि जिस मामले में कई साक्षी हों और यदि एक भी साक्षी ऐसा कथन देता है जिसके आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त होता हो, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में **शांता बनाम हरियाणा राज्य (ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 650)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। उनका निवेदन है कि न्यायालय में पहचान के दौरान शिकायतकर्ता ने घटना में उनकी भूमिका बताते हुए किसी विशिष्ट अभियुक्त की पहचान नहीं की है। शिकायतकर्ता ने किसी भी अभियुक्त को छूकर या उसकी ओर उंगली उठाकर पहचान नहीं की है, जिसके लिए उन्होंने **साइमन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 2775)** के निर्णय का संदर्भ दिया। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी गिरफ्तारी की तिथि से ही जेल में हैं, अतः मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह निवेदन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा घटना के आधे घंटे के भीतर ही अत्यंत तत्परता से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने अभियुक्तगण की आयु, रंग-रूप और चेहरे की बनावट के संबंध में उनका विवरण दिया है और यह कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आर.बी. देवांगन (अ. सा.-13) द्वारा आयोजित पहचान परेड, विदे प्रदर्श पी-11 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा

अभियुक्तगण की विधिवत पहचान की गई है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि अभियुक्तगण के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उनकी निशानदेही पर लूटी गई नकदी का एक हिस्सा बरामद किया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि अभियुक्तगण ने अपने चेहरे ढके हुए थे, राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह अभिवाक किया गया है कि लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) ने वास्तविक घटना को नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने अपराध घटित होने के बाद अभियुक्तगण को घटना स्थल से भागते हुए मात्र देखा था। यदि उस चरण में उन्होंने अभियुक्तगण को अपना चेहरा ढके हुए देखा था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध कारित करने के समय भी उनके चेहरे ढके हुए थे और इसलिए शिकायतकर्ता राज रूप जैन (अ. सा.-11), लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) के साक्ष्य में कोई विसंगति नहीं है। अभियुक्तगण की न्यायालय में पहचान के संबंध में प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपने साक्ष्य के प्रारंभिक कंडिका में शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि उसने न्यायालय में अभियुक्तगण को पहचाना और आगे अपने साक्ष्य के कंडिका क्रमांक 6 में उन्होंने बताया कि दिनांक 05.4.2001 को दोपहर 1 बजे, उन्होंने न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के नामों को निर्दिष्ट करते हुए प्रदर्श पी-11 के माध्यम से उनकी पहचान की थी। वे आगे निवेदन करते हैं कि अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में शिकायतकर्ता ने आगे यह भी कहा है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त व्यक्ति न तो उन्हें पहले से ज्ञात थे और न ही वे उनके नाम जानते थे। उनका तर्क है कि शिकायतकर्ता (अ. सा.-11) के साक्ष्य पर अविश्वास करने या उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है और भले ही शिकायतकर्ता (अ. सा.-11), लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) के साक्ष्य में कुछ विसंगति हो, उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। वे आगे यह निवेदन करते हैं कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि दिनांक 05.4.2001 को पहचान परेड से पहले अभियुक्तगण की न्यायिक रिमांड लेने से पूर्व उन्हें 'बापर्दा' पेश नहीं किया गया था। उनके अनुसार, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि रिमांड की इन तारीखों पर शिकायतकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय में उपस्थित था या उसे अभियुक्तगण को देखने का कोई अवसर मिला था। पहचान परेड आयोजित करने में 46 दिनों के विलंब के संबंध में, राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इसे जल्द से जल्द आयोजित नहीं किया जा सका। उनका तर्क है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि घटना के 46 दिन बाद पहचान परेड आयोजित किए जाने से अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पहचान परेड के समय पुलिस अधिकारी सी.एस. शर्मा की उपस्थिति के संबंध में अभिवाक किया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित करे कि वे उस समय उपस्थित थे। उप-जेलर के केबिन में पुलिस अधिकारी की मात्र उपस्थिति पूरी पहचान परेड को दूषित नहीं करेगी, जो एक अलग स्थान यानी उप-जेल के बरामदे में आयोजित की गई थी।

अंततः, राज्य के अधिवक्ता ने अभिवाक किया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि जब शिकायतकर्ता ने वास्तव में अभियुक्तगण की पहचान की थी, तब वहां कोई पुलिस अधिकारी मौजूद था या पहचान परेड से पहले अभियुक्तगण को शिकायतकर्ता को दिखाया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का कृत्य अत्यंत जघन्य प्रकृति का है और इसलिए वे किसी भी उदार विचार के पात्र नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शिकायतकर्ता राज रूप जैन (अ. सा.-11) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने आरोपी व्यक्तियों को पहचान लिया था, किंतु वह यह नहीं बता सका कि वे कहाँ के निवासी थे। इस साक्षी के अनुसार, वह अपने व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर सूरजपुर-विश्रामपुर आया-जाया करते था और घटना की तिथि को भी शाम लगभग 5 बजे, जब वह ₹ 45,000/- की राशि वसूल कर विश्रामपुर से अंबिकापुर अपने स्कूटर पर जा रहे था, उन्होनें पीछे से स्कूटर पर सवार दो लड़कों को आते देखा जिन्होंने उन्हें रुकने के लिए कहा। चूँकि उन्होंने उन दोनों लड़कों द्वारा दिए गए संकेत का पालन नहीं किया था, इसलिए वह नहीं रुके और कुछ समय बाद उक्त स्कूटर के पीछे बैठे व्यक्ति (पिलियन राइडर) ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर पुनः रुकने को कहा। इस पर, इस साक्षी के अनुसार, उन्होंने स्कूटर की गति बढ़ा दी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और 'कुम्दा मोड़' नामक स्थान के पास गिर गये। उनके गिरने के तुरंत बाद, उन दोनों

लड़कों ने भी अपना स्कूटर रोका और उन्हें अपशब्द कहते हुए अपना स्कूटर वहीं छोड़कर चले जाने को कहा, जिसका उसने विरोध किया। तत्पश्चात, उसके द्वारा पुकारे जाने पर, कुम्दा मोड़ के पास पहले से खड़े कुछ लोग उसके पास आए जो लाठी, तलवार और चाकू से लैस थे। इस साक्षी के अनुसार, उक्त व्यक्ति अंततः उन दो लड़कों के सहयोगी निकले जो स्कूटर पर उसका पीछा कर रहे थे। इस साक्षी ने आगे बताया कि जब उन व्यक्तियों ने तलवार और लाठी लहराना शुरू किया, तो वे एक तरफ हट गये और उसके बाद वे उसका स्कूटर लेकर मौके से फरार हो गए। उसी समय, इस साक्षी के अनुसार, वहां से एक जीप गुजरी लेकिन उनके अनुरोध के बावजूद वह नहीं रुकी और इसी बीच यात्रियों को ले जा रही एक अन्य जीप वहां से गुजरी जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त पुलिस अधिकारी सूरजपुर थाने का थाना प्रभारी था, तो उन्होंनें उन्हें घटना का विवरण सुनाया, जिसने तुरंत वायरलेस पर चारों ओर इसकी सूचना दी और अभियुक्तगण की तलाश में उसे उक्त जीप में कुम्दा की ओर ले गये। उनके अनुसार, डेढ़ किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें अपना स्कूटर लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ पाया, उसकी सामने वाली डिक्की खुली हुई थी जबकि पीछे वाली बंद थी, और मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उसने यह कथन किया है कि वहां उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा डिक्की तोड़कर खोले जाने के बाद, उसमें रखा बैग सुरक्षित था। उसके अनुसार, जब व्यापक तलाशी के बाद भी आरोपी व्यक्तियों का पता नहीं चल सका, तो वह पुलिस थाना जयनगर गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 दर्ज कराई। दिनांक 05.4.2001 को दोपहर लगभग 1 बजे, साक्षी लक्ष्मी नारायण और धर्मपाल की उपस्थिति में आरोपी शिलाभ्रज, धर्मेंद्र गुप्ता, समीम, संजय, सरफराज, आसिफ अहमद की पहचान की गई और उक्त पहचान परेड कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित की गई थी, परंतु वह उनके नाम से अवगत नहीं था। अपने साक्ष्य के कंडिका 09 में, इस साक्षी ने कहा है कि पूर्व में आरोपी व्यक्ति न तो उसके परिचित थे और न ही वह उनके नाम जानता था। अपने साक्ष्य के कंडिका 19 में, इस साक्षी ने इस तथ्य से इनकार किया है कि पहचान परेड के संदर्भ में उसे उप-निरीक्षक सी.एस. शर्मा द्वारा बुलाया गया था और कहा कि उसे इसके लिए नोटिस प्राप्त हुआ था। उसने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि जेल परिसर में पहचान परेड के समय निरीक्षक शर्मा, नरेंद्र जैन और शंकर अग्रवाल भी उसके साथ थे। उसने आगे इस बात से भी इनकार किया कि ये सभी व्यक्ति जेलर के कार्यालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में बैठे थे जबकि उसे बाहर खड़ा किया गया था। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि घटना के समय आरोपी व्यक्तियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं सका। उसने कथन किया है कि केवल एक आरोपी ने अपना चेहरा ढका हुआ था, परंतु घटना के दौरान उसका मुखौटा भी गिर गया था। इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि पहचान परेड के दौरान व्यक्तियों का उचित मिलान किया गया था। लोकनाथ डडसेना (अ. सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ. सा. - 20) वे साक्षी हैं जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों को मौके से भागते हुए देखा था। लोकनाथ डडसेना (अ. सा.- 18) के अनुसार, घटना की तिथि को वह सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) और अन्य व्यक्तियों के साथ विश्रामपुर में क्रिकेट मैच खेलने गये थे, लेकिन वहां कुछ विवाद होने के कारण पूरा मैच नहीं खेला जा सका। उसके अनुसार, जब वह और उसके साथी कुम्दा मोड़ के रास्ते अंबिकापुर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक स्कूटर पर तीन व्यक्तियों को देखा जिन्होंने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था, जिनमें से बीच में बैठे व्यक्ति के हाथ में तलवार थी। इस साक्षी के अनुसार, वहां तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा एक और स्कूटर था और भय के कारण उसने अपनी मोटरसाइकिल तेज कर दी थी, इसलिए वह उन्हें ठीक से पहचान नहीं सका। सतीश मिश्रा (अ. सा.-20) ने लगभग वैसा ही बयान दिया है जैसा लोकनाथ डडसेना (अ.सा. -18) द्वारा दिया गया है। उसने कथन किया है कि दो स्कूटरों पर सवार व्यक्तियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और वे कुम्दा टर्निंग की ओर भाग रहे थे। आर.बी. देवांगन (अ.सा. -13), नायब तहसीलदार, वह साक्षी है जिसने दिनांक 5.4.2001 को प्रदर्श पी-11 के अनुसार पहचान परेड संचालित किया था। उसने कथन किया है कि पहचान परेड उप-जेल सूरजपुर में संचालित की गई थी। अपने बयान के कंडिका क्रमांक 4 में उसने बताया है कि पहचान जेल परिसर में उप-जेलर के कार्यालय के ठीक सामने बरामदे में की गई थी। उन्होंने बताया कि जब वे उक्त पहचान परेड के लिए जेल पहुँचे, तो जेलर के कार्यालय में नरेंद्र जैन, शंकर अग्रवाल और थाना प्रभारी सी.एस. शर्मा पहले से ही वहां उपस्थित थे और उस समय आर.एस. सिंह उप-जेलर के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने कथन किया है कि पहचान परेड के पहले दौर में, शिकायतकर्ता (अ. सा.-11) दो व्यक्तियों को नहीं पहचान सका था और परेड लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल तथा उपजेलर आर.एस. सिंह (अ. सा.-16) की उपस्थिति में संचालित की गई थी। अपने साक्ष्य के कंडिका क्रमांक 06 में, इस साक्षी ने कहा है कि जैसे ही विवेचना अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा पहचान परेड आयोजित करने का अनुरोध किया गया, उन्होंने इसे तुरंत आयोजित किया और उन्होंने इस संबंध में किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि पहचान परेड से पहले, आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की खबर सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, जिसे उनके द्वारा भी पढ़ा गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नरेंद्र जैन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर के मुख्य संवाददाता थे। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा कि पहचान परेड के समय कोई भी पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं था। रामाशंकर सिंह (अ. सा.-16), जो पहचान परेड के समय उपस्थित थे, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि 05.4.2001 को उपजेल सूरजपुर में पहचान परेड आयोजित की गई थी और वह इसके साक्षियों में से एक थे। अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में उसने बताया है कि विश्रामपुर के थाना प्रभारी सी.एस. शर्मा शिकायतकर्ता को पहचान परेड के लिए साथ लाए थे, जो उसके कार्यालय के सामने स्थित बरामदे में आयोजित की गई थी। पार्वती (अ. सा.-1) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। जगदीश कुमार सिंघल (अ. सा.-2), नारायण दास गोयल (अ. सा.-3) और दीनदयाल (अ. सा.-4) वे गवाह हैं जिनसे शिकायतकर्ता ने घटना की तारीख को कुछ पैसे एकत्र किए थे। प्रेम शंकर यादव (अ. सा.-5), चंदन चौरसिया (अ. सा.-6), जमुना प्रसाद (अ. सा.-7) और गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता (अ. सा.-8) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। विलियम टोप्पो - उप निरीक्षक (अ. सा.-9) वह गवाह है जिसने विवेचना का एक हिस्सा किया था। संजय सिंह (अ. सा.-10) स्कूटर और पैसे की जब्ती का गवाह है, जिसे प्रदर्श प्रदर्श पी-8 और पी-9 के माध्यम से दर्शाया गया है। जमील खान (अ. सा.-12) प्रदर्श पी-12 के तहत की गई वस्तुओं की जब्ती का गवाह है, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। हालांकि, उसने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। गणेश प्रसाद (अ.सा.-14) मोटर मैकेनिक ने कुछ भी विशिष्ट नहीं बताया है। अशोक कुमार सिंह (अ.सा. - 15) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। नरेंद्र जैन (अ. सा. - 17) जब्ती और ज्ञापन का गवाह है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। थियोडोर लकड़ा (अ.सा. -19) आयुधिक है जिसने देसी पिस्तौल की विवेचना की थी और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी-37 दी थी, जिसमें कहा गया था कि उक्त हथियार चालू हालत में था। प्रमोद कुमार सिंह गौतम (अ.सा. -21) विवेचना अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। बचाव पक्ष के गवाह लक्ष्मी नारायण गिरी (प्र. सा.-1) ने यह बयान दिया है कि वह दिनांक 27.5.1999 से लगभग ढाई महीने तक एक अधीनस्थ विचाराधीन कैदी थे और पहचान परेड प्रदर्श पी-11 का गवाह हैं। उन्होंने कहा है कि पहचान परेड उचित तरीके से संचालित नहीं की गई थी क्योंकि थाना प्रभारी के निर्देश पर उसनें जेलर के कार्यालय के सामने वाले बरामदे में आरोपी व्यक्तियों को कुछ अन्य कैदियों के साथ मिलाकर खड़ा किया था। इसके बाद, इस गवाह के अनुसार, जेलर वहाँ आए और आरोपी व्यक्तियों को दो-दो व्यक्तियों के अंतराल पर खड़ा किया गया तथा उन व्यक्तियों का पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था लेकिन उनके चेहरे खुले रखे गए थे, इसके बावजूद जो व्यक्ति पहचान करने वाला था वह तीसरे दौर में भी पहचान नहीं कर सका। तत्पश्चात, कंबल को कमर तक नीचे खिसका दिया गया, जिस पर इस गवाह ने तहसीलदार की उपस्थिति में आपत्ति जताई। इसके बाद, इस गवाह के अनुसार, जब सभी लोग जेलर के कार्यालय में गए, तो वह भी वहाँ गया और उसनें देखा कि पहचान करने वाले व्यक्ति को कुछ फोटोग्राफ दिखाए जा रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस न्यायालय को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में पर्याप्त बल मिलता है कि शिकायतकर्ता राज रूप जैन (अ.सा. - 11) के साथ-साथ लोकनाथ डडसेना (अ.सा. - 18) और सतीश मिश्रा (अ.सा. - 20) द्वारा दो अलग-अलग वृत्तांत दिए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपराध के समय आरोपीगण/अपीलकर्तागण ने अपने चेहरे नहीं ढके थे, जबकि लोकनाथ डडसेना (अ.सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ.सा.-20) के बयानों के अनुसार, जब उन्होंने आरोपीगण/अपीलकर्तागण को देखा था, तो उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ अपराध कारित होने के तुरंत बाद जब आरोपी/अपीलकर्ता दो स्कूटरों पर मौके से भाग रहे थे, तब उन्हें लोकनाथ डडसेना (अ.सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ.सा.-20) द्वारा देखा गया था। अतः, इस न्यायालय के लिए शिकायतकर्ता के इस बयान पर विश्वास करना कठिन है कि उसने आरोपीगण/अपीलकर्तागण को प्रत्यक्ष रूप से (चेहरे से) देखा था। चूंकि लोकनाथ डडसेना (अ.सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ.सा.-20) अभियोजन पक्ष के गवाह हैं और अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, इसलिए उनके बयानों को, जो

कि विश्वसनीय हैं, अविश्वासित या खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के दो महत्वपूर्ण गवाहों, अर्थात् लोकनाथ डडसेना (अ.सा.-18) और सतीश मिश्रा (अ.सा.-20), के मुख से दो अलग-अलग वृत्तांत सामने आए हैं।

9. यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि पहचान परेड आरोपीगण की गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र आयोजित की जानी चाहिए और यह इस संभावना को खत्म करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि परेड से पहले आरोपीगण को गवाहों को दिखाया गया हो। यह भी विधि की एक स्थापित स्थिति है कि पहचान परेड आयोजित करने में देरी हमेशा घातक नहीं होती है, विशेष रूप से तब जब अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी देरी की पुष्टि के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हों। **लाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 12 एससीसी 554** के मामले में, पहचान परेड के प्रश्न और उन्हें आयोजित करने में देरी के प्रभाव से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "43. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि पहचान के साक्ष्य पर प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि पहचान परेड को जल्द से जल्द अवसर पर आयोजित करना वांछनीय है, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि देरी अत्यधिक है और ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो इस संभावना को बल देते हैं कि आरोपीगण को गवाहों को दिखाया गया था, तो
>
> न्यायालय ऐसे साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वे मामले जहाँ दोषसिद्धि न केवल न्यायालय में की गई पहचान के आधार पर बल्कि अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों पर आधारित होती है, जैसे कि लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी, वे एक अलग आधार पर होते हैं और न्यायालय को साक्ष्य पर उसकी समग्रता में विचार करना होता है।

अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003)(3) एससीसी 569 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

यह देखा जाना चाहिए कि पहचान परेड की वास्तविकता पर संदेह करने और यह टिप्पणी करने के अलावा कि इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद गवाहों के लिए चेहरे के भावों को याद रखना मुश्किल होगा, कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है कि इतनी मामूली देरी क्यों घातक होगी.... कुछ दिनों का बीतना उन हमलावरों के चेहरे के भावों को माता और पिता की स्मृति से मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्होंने उन्हें अपने बेटे की हत्या करते देखा है..."

प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य (2004)(13) एससीसी 150 के एक अन्य मामले में, अनिल कुमार (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि:

किसी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पहचान परेड आयोजित करने की अवधि, या आरोपीगण की सही पहचान करने वाले गवाहों की संख्या के संबंध में कोई भी अपरिवर्तनीय नियम निर्धारित करना न तो संभव है और न ही विवेकपूर्ण है। इन मामलों को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए 'तथ्य के न्यायालयों' पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि पहचान परेड आयोजित करने की अवधि निर्धारित करने वाला कोई नियम बनाया जाता है, तो इससे केवल उन पेशेवर अपराधियों को लाभ होगा जिनके मामलों में गिरफ्तारी में देरी होती है क्योंकि पुलिस के पास उनकी पहचान के बारे में कोई स्पष्ट सुराग नहीं होता उनकी पहचान के बारे में, क्योंकि वे पीड़ितों के लिए अज्ञात व्यक्ति होते हैं। इसलिए, वे दोषसिद्धि से बचने के लिए केवल निर्धारित अवधि तक अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार, कुछ अपराध ऐसे हो सकते हैं जो अपनी प्रकृति के कारण केवल एक ही गवाह द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे कि बलात्कार। अपराधी पीड़ित के लिए अज्ञात हो सकता है और मामला पूरी तरह से पीड़ित द्वारा की गई पहचान पर निर्भर करता है, जिसे अन्यथा सच्चा और विश्वसनीय पाया गया हो। इस तर्क के पक्ष में क्या औचित्य दिया जा सकता है कि ऐसे मामलों का परिणाम अनिवार्य रूप से केवल एक पहचानकर्ता गवाह होने के कारण दोषमुक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में होना चाहिए? इसलिए, विवेक की मांग यह है कि इन मामलों को 'तथ्य के न्यायालयों' की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिन्हें ऐसी पहचान की स्वीकार्यता या अस्वीकृति पर निर्णय देने से पहले अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आलोक में मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।"

मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2010 एससी 942 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

अतः, पहचान परेड के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं: प्रथम, गवाहों की ओर से किसी भी गलती से बचने के लिए एक पहचान परेड आदर्श रूप से जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए; इस शर्त को वापस लिया जा सकता है यदि देरी का न्यायोचित ठहराने वाला उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया गया हो; और, (3) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देरी के कारण आरोपी व्यक्तियों का प्रदर्शन न हो, जिससे गवाहों की ओर से गलतियाँ होने की संभावना हो सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचाराधीन मामले में, प्रदर्श पी-11 के माध्यम से पहचान परेड दिनांक 05.4.2001 को आयोजित की गई थी, अर्थात् आरोपी/अपीलकर्तागण की गिरफ्तारी के 46 दिन बाद, और स्वीकृत रूप से गिरफ्तारी और पहचान परेड के बीच अभियोजन पक्ष द्वारा चार न्यायिक रिमांड लिए गए थे। अभिलेख से पता चलता है कि आरोपी संजय और मोहम्मद शमीम को 10.2.2001 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आरोपी शिलाभ राज को दिनांक 19.2.2001 को गिरफ्तार किया गया था। अभिलेख आगे दर्शाता है कि आरोपी संजय, धर्मेंद्र और मोहम्मद शमीम के संबंध में पहली न्यायिक रिमांड 11.2.2001 को ली गई थी, जबकि आरोपी शिलाभ राज के संबंध में यह 19.2.2001 को ली गई थी। इसके पश्चात, आरोपी/अपीलकर्तागण की अगली न्यायिक रिमांड दिनांक 23.2.2001, 09.3.2001 और 23.3.2001 को भी ली गई थी। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी भी आदेश पत्र में यह उल्लेख किया गया हो कि आरोपी

व्यक्तियों को न्यायालय में बापर्दा पेश किया गया था, जबकि न्यायिक रिमांड की मांग करते समय पुलिस द्वारा एक विशिष्ट अनुरोध किया गया था कि चूंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आरोपी व्यक्तियों की पहचान की जानी शेष है और इस हेतु उन्हें बापर्दा रखा जाए। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह नहीं कहा जा सकता कि 05.4.2001 को प्रदर्श पी-11 के तहत आयोजित पहचान परेड में शिकायतकर्ता द्वारा आरोपीगण की पहचान किए जाने तक, उसे आरोपीगण को देखने का कोई अवसर नहीं मिला था।

11. इस न्यायालय को राज्य के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि आरोपी व्यक्तियों को न्यायालय में बापर्दा पेश नहीं किया गया था, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करे। इसके अतिरिक्त, आर.बी. देवांगन (अ.सा.-13) के साक्ष्य के अनुसार, पहचान परेड आयोजित करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई थी और जैसे ही विवेचना अधिकारी द्वारा उनसे अनुरोध किया गया, उसे तत्काल आयोजित किया गया था। इसके अलावा, विवेचना अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह गौतम (अ.सा.-21) ने पहचान परेड को शीघ्रता से आयोजित न करने का कोई वैध कारण नहीं बताया है। अपने बयान के कंडिका 21 में, इस साक्षी ने कहा है कि वह यह नहीं बतासकता कि पहचान परेड आयोजित करने की अनुमति 14.2.2001 को दी गई थी या नहीं। उसने आगे कहा है कि संबंधित दस्तावेज़ दूसरी फ़ाइल में संलग्न था, इसलिए वह उसे देख नहीं सका और उक्त दस्तावेज़ को देखने के बाद उसने स्वीकार किया कि पहचान परेड आयोजित करने की अनुमति उसे 14.2.2001 को दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि पहचान परेड जेल परिसर में उप-जेलर के कार्यालय के ठीक सामने एक खुले बरामदे में आयोजित की गई थी। आर.बी. देवांगन (अ.सा.-13) ने यह स्वीकार किया है कि जब वह पहचान परेड आयोजित करने के लिए जेल गए थे, तो वहाँ वर्तमान परिवादी के अतिरिक्त, एक नरेंद्र जैन, शंकर अग्रवाल और विश्रामपुर थाना के थाना प्रभारी सी.एस. शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रथम दौर में परिवादी दोनों आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रहा था और

पहचान परेड आयोजित करने से पूर्व, सभी आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी का समाचार सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और उन्होंने उक्त समाचार को पढ़ा था। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया है कि उप-जेलर के कक्ष में उपस्थित एक व्यक्ति, नरेंद्र जैन, दैनिक भास्कर समाचार एजेंसी के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। इस साक्षी के अनुसार, पहचान परेड के समय, जेलर के अतिरिक्त वहाँ रक्षक (गार्ड) भी उपस्थित थे, यद्यपि उन्होंने एस.डी.ओ. (सिविल) या एस.डी.ओ. (पुलिस) की उपस्थिति से इनकार किया है। रमाशंकर सिंह (अ.सा.-16) उप - जेलर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि विश्रामपुर थाने के थाना प्रभारी सी.एस. शर्मा ही परिवादी को आरोपी व्यक्तियों की पहचान के लिए अपने साथ लाए थे। उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पहचान परेड उनके कार्यालय के सामने वाले बरामदे में आयोजित की गई थी और संबंधित समय पर रक्षक (गार्ड) 5-6 मीटर की दूरी पर उपस्थित थे।

13. इस प्रकार, यदि परिवादी के कथन पर विचार किया जाए, तो उसने अपने कथन के कंडिका 19 में यह कहा है कि पहचान परेड की सूचना प्राप्त करने के पश्चात, वह स्वयं जेल गया था और यह कहना गलत है कि उसे उप निरीक्षक सी.एस. शर्मा द्वारा जेल लाया गया था। उसने आगे इस तथ्य से इनकार किया है कि वह सी.एस. शर्मा, नरेंद्र जैन और शंकर अग्रवाल के साथ जेल गया था। इस साक्षी के अनुसार, उसने प्रथम दौर में ही आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर ली थी। अभियोजन पक्ष की इन सभी खामियों के अतिरिक्त, बचाव पक्ष के साक्षी लक्ष्मी नारायण गिरी (प्र.सा.-1) ने पहचान परेड के संबंध में पहले ही विभिन्न संदेह उत्पन्न कर दिए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान परेड के संबंध में एकत्रित साक्ष्यों के संचयी प्रभाव को देखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यह इस न्यायालय का पूर्ण विश्वास हेतु प्रेरित नहीं करता है, विशेष रूप से तब जब इसे आयोजित करने में 46 दिनों की अत्यधिक देरी हुई है जिसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, पहचान परेड के संबंध में साक्षियों द्वारा दिए गए भिन्न-भिन्न वृत्तांतों को भी अभियोजन पक्ष के लिए एक कमजोर करने वाले कारक के रूप में अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जिसका लाभ निश्चित रूप से आरोपी / अपीलकर्तागण को मिलना चाहिए।

15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित निर्णय जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है, उसे निरस्त किया जाता है। अपीलकर्तागण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वे जेल में निरुद्ध बताए गए हैं। यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों, तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए।

हस्ता/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----------**अस्वीकरणः**

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI